मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2023 (फाल्गुन 10, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने सदन में घोषणा की कि – राज्य शासन की ओर से पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2023-2024 का बजट ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में शासन द्वारा समस्त बजट साहित्य डिजिटल फार्मेट में (आई-पैड) में उपलब्ध कराया जा रहा है. इस हेतु कार्य मंत्रणा समिति ने भी अनुशंसा की है.

2. मौखिक उल्लेख

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री तरूण भनोत, सदस्य ने सदन को अवगत कराया कि आज भारत सरकार ने 50 रूपये गैस सिलेण्डर में बढ़ा दिये हैं. मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि मध्यप्रदेश की महिलाओं के घर का बजट बिगड़ेगा इसलिए आप मध्यप्रदेश में गैस सिलेण्डर के दामों में हुई वृद्धि को लागू नहीं करे.

(2) श्री शिवराज सिंह, चौहान, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि बजट सत्र की प्रमुख गतिविधि प्रदेश का बजट भाषण होता है, जिसे पूरा प्रदेश सुनना चाहता है इसलिए मेरा डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री कमलनाथ, सदस्य से निवेदन है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान हर शब्द पर टोका टाकी न करे और बजट भाषण शान्तिपूर्वक संपन्न होने दें.

(3) श्री कमलनाथ, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि आज रसोई गैस सिलेण्डर के दाम 50 रूपये बढ़े हैं और हमारी बहनों को मंहगाई झेलनी पड़ रही है इसलिए सभी सदस्य उत्तेजित हो गए है आपको इस मंहगाई का अहसास होना चाहिए. इस पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बताया गया कि यह गैस सिलेण्डर की कीमत राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाई है, आपके दल के सांसद संसद में उठा सकते हैं.

3. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा गैस सिलेण्डर के दाम बढ़ाए जाने के संबंध में शासन की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के उपस्थापन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2023-2024 सदन के समक्ष प्रस्तुत किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं, निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 1 मार्च, 2023 को सायंकाल 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2023 का समय नियत किया गया है.

5. अध्यक्षीय घोषणा

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चार दिवसीय “राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन” मुंबई में आयोजित किया जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन में घोषणा की कि – आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एम.आई.टी. स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे द्वारा 18 जून, 2023 से चार दिवसीय “राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन” मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. इसमें सभी राज्यों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है. आयोजकों की ओर से विधान सभा परिसर में एक स्टॉल लगाया गया है इस सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक सदस्य उक्त स्टॉल पर नामांकन करा सकते हैं.

अपराह्न 12.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 (11 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 1 मार्च, 2023